क्रम—संख्या—14

संख्या: 12/7/1965/नियुक्ति (ख)

प्रेषक,

श्री वी० पी० जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

नियुक्ति (ख) लखनऊ, दिनांक 23 दिसम्बर, 196

विषय:— सतर्कता अधिष्ठान को सौंपे गये मामलों में जांच के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच का कार्य बहुधा विभागी जांच हो जाने के बाद सतर्कता अधिष्ठान को सौंपा जाता है। कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें उ साक्ष्य के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गयी जो कि प्रारम्भिक विभागीय जांच के दौर उपलब्ध हुआ था। यद्यपि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी जांच की जा रही थी। यह ठीक नहीं है। ऐसे मामल में समुचित साक्ष्य के अभाव में हमेशा इस बात की सम्भावना रहती है कि अभियुक्त बिल्कुल छूट जाये उसे कोई साधारण सा दण्ड मिले। जब एक बार किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करके उस विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी जाये तो फिर उसी आरोप के लिए दोबारा उसका परीक्षण नहीं किया सकता है, भले ही सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच के फलस्वरूप नये साक्ष्य उपलब्ध हुये हों।

2—ऐसी स्थिति से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जब कोई मामला जांच के लि सतर्कता अधिष्ठान को सौंप दिया जाये तो अनुशासनिक कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए और यदि पहले ही आरम्भ कर दी गयी हो तो उसे तब तक के लिए निलम्बित कर देना चाहिए जब तक कि दण्ड दे वाले अधिकारी को सतर्कता अधिष्ठान का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त न हो जाये। मुझे यह अनुरोध करना है कि इन अनुदेशों को भविष्य में मार्गदर्शन के लिए कृपया ध्यान रखा जाये।

भवदीय,
वी० पी० जोशी,
सचिव

संख्या: 12/7/1965 (1)/नियुक्ति (ख), तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त विभागों को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

आज्ञा से,
वी० पी० जोशी,
सचिव।